कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकःएफ( )वन्यजीव प्रबन्धन/मुवजीप्र/2018/3878 दिनांक16-08-2018

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.11(5)वन/98 दिनांक 4.3.1999 से समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षकों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारीगणों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम्–1972 के प्रयोजनार्थ अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये पदेन वन्यजीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है। इसकी अनुपालना में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा विस्तृत निर्देश उनके परिपत्र क्रमांक 1287 दिनांक 28.10.2013 एवं पत्रांक :एफ( )विविध–II/मुवजीप्र/ 2017/7661 दिनांक 9.10. 2017 के द्वारा समस्त वनाधिकारियों को दिये गये है।

प्रायः यह देखा गया है कि वन अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकारों में वन्यजीवों की संरक्षण, रेस्क्यू कार्य व वन्यजीव अपराध एवं दुर्घटना इत्यादि के प्रकरणों में बिना कोई कारण उक्त परिपत्रों की पालना तत्परता से नही की जा रही है। इससे प्रकरणों के निस्तारण में काफी विलम्ब होता है एवं विभाग की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वन्यजीवों के सरंक्षण, रेस्क्यू कार्य व वन्यजीव अपराध एवं दुर्घटना इत्यादि के प्रकरणों में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के अनुसार क्षेत्र निर्धारण किया जाकर समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि राज्य सरकार की अधिसूचना एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित रिर्पोट्स अनिवार्य रूप से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को समय–समय पर प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में क्षेत्रों की निर्धारण सम्बन्धित अद्यतन सूची विभागीय वेब–साइट पर उपलब्ध है।

(सी॰एस॰रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ),
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःएफ( )वन्यजीव प्रबन्धन/मुवजीप्र/2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक.....
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जोधपुर/उदयपुर/जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,रणथम्भौर टाईगर रिजर्व ,सवाईमाधोपुर/सरिस्का टाईगर रिजर्व, अलवर/मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा।
6. उप वन संरक्षक.....
7. उप वन संरक्षक(वन्यजीव).....
8. रक्षित पत्रावली।

अति॰प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान,जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 11§5§वन/78 जयपुर, दिनांक 4 MAR 1999

::अधिसूचना::

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प03§5§§8§राज/8/72 दिनांक 18-6-83 को अतिक्रमित करते हुए तथा वन्यजीव §संरक्षण§ अधिनियम, 1972 की धारा 4§1§§ख§ के साथ पठित धारा 2 के खण्ड§38§ के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा, राज्य के निम्नांकित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करती है:-

§1§ समस्त मुख्य वन संरक्षक
§2§ समस्त वन संरक्षक
§3§ समस्त उप वन संरक्षक
§4§ समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
§5§ समस्त क्षेत्र निदेशक/क्षेत्र उपनिदेशक
§6§ समस्त सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक/सहायक क्षेत्र निदेशक
§7§ समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी

§एस0 अहमद§
शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान-जयपुर ।
2- सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण ।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
5- समस्त शासन सचिव/महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान-जयपुर ।
6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर ।
7- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर
8- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
9- समस्त उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक/उप क्षेत्र निदेशक ।
10-समस्त सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक/सहायक क्षेत्र निदेशक ।
11-समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी 12- रक्षित पत्रावली

§एस0प्रसाद§
निजी अधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-
1-निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान-जयपुर ।
2-अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र §असाधारण§ को तत्काल प्रकाशित कर इस विभाग को सूचित करने हेतु।

§एस0प्रसाद§
निजी अधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-
1- सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांकःपत्रा.2 ( )कार्मिक–राज/2005/प्रमुवसं/ 5333 दिनांकः 4-11-06

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को राज्य में विद्यमान सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबन्धन का दायित्व निर्धारित किया है परन्तु पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण कतिपय स्थानों में, प्रादेशिक वन मण्डलों में वन्य जीव अभ्यारण्य का दायित्व दिया गया है। ऐसे अभ्यारण्यों की देख–रेख करते समय वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के लिये आवश्यक मार्गदर्शन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त किया जाना स्वाभाविक है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वन्य जीव क्षेत्र केवल मात्र राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, वन्य जीव प्रदेश में बहुतायत में वन क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र के बाहर भी पाये जाते है। वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी समस्त वनाधिकारियों की है। अतः वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु एवं वन्य जीव अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य करना चाहिये एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर समुचित मार्गदर्शन तथा दिशानिर्देश विशिष्ठ स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त करना आवश्यक है।

वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में तथा वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों को नियंत्रण में प्रादेशिक स्तर के समस्त उप वन संरक्षक/वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किये जाने वाले कार्य के बारे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अपनी टिप्पणी प्रतिवर्ष के अन्त में पृथक रूप से लिख कर गोपनीय रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेगें एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा प्रादेशिक अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (भा.व.से.) में समग्र मूल्यांकन करते समय इसके आधार पर टिप्पणी अंकित की जावेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कमांकःपत्रा.2 ( )कार्मिक–राज/2005/प्रमुवसं/ 5334-5488 दिनांकः 4-11-06

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2– शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है उक्तानुसार प्रतिवर्ष के अन्त तक अपनी टिप्पणी भिजवाएं। **अधिकतम अवधि 15 मई** तक टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।
4– समस्त वनाधिकारी ....को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5– प्रतिलिपि निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

3

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान,जयपुर

क्रमांक : 1287 दिनांक 28-10-2013

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि वन्य जीव अपराध/दुर्घटना/पलायन आदि से संबंधित प्रकरणों में जो कि संरक्षित क्षेत्र से बाहर होते है, संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ निकटवर्ती वन्य जीव मण्डल से कार्यवाही की अपेक्षा रखते है । जबकि इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र सं.पत्रांक 2( ) कार्मिक–राज/ 2005/ प्रमुवस/ 5333 दिनांक 04.11.2006 से यह स्पष्टयाः निर्देशित किया गया था कि वन्य जीवों का विचरण केवल मात्र राष्ट्रीय उधान एवं वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, वन्य जीव प्रदेश में वन क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र के बाहर भी बहुतायत में पाये जाते है । वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी समस्त वनाधिकारियों की है । अतः वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु एवं वन्य जीव अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य करना चाहिये तथा इस संबंध में समय – समय पर समुचित मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त करना आवश्यक है । इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र कमांक एफ 3(456)तक/ मुवजीप्र/ 05/ 13828 दिनांक 10.03.2005 का भी अवलोकन करे जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं के दृष्टिगत सभी वनाधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने बाबत में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए है ।

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश कमांक प.11(5)वन/98 दिनांक 4.3.1999 से समस्त मुख्य वन संरक्षक , वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,क्षेत्र निदेशक/क्षेत्र उप निदेशक, सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक/सहायक क्षेत्र निदेशक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी गणों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम , 1972 के प्रयोजनार्थ अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये पदेन वन्य जीव प्रतिपालक, नियुक्त किया गया है । इस आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में संरक्षित क्षेत्रों को छोडकर शेष क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण एवं वन्य जीव से संबंधित अपराधों के संबंध में वांछित कार्यवाही की जिम्मेदारी मूल रूप से उस क्षेत्र में कार्यरत प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की होगी । अतः प्रादेशिक वन मण्डलों के अधीन क्षेत्रों में वन्य जीव के घायल / अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जाये। स्थानीय वन्य जीव मण्डल द्वारा उपलब्ध संसाधनों यथा रेस्क्यू वैन, रेस्क्यू सेन्टर इत्यादि उनसे सम्पर्क करने पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु उपलब्ध करवाये जावें।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से समस्त वनाधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि राज्यादेश एवं उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें ।

-sd-
(यू.एम.सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक 1288-1386 दिनांक 28/10/2013

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. .प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान,जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक
4. समस्त उप वन संरक्षक एवं उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

(ए.बी.रामटेक)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान,जयपुर

लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत
प्रवर सूचना
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
लोक सूचना प्राधिकरण

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ (   )विविध–।।/मुवजीप्र/2017/7661

दिनांक 9.10.2017

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.11(5)वन98 दिनांक 4.03.1999 से समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, क्षेत्र निदेशक/क्षेत्र उप निदेशक, सहायक वन संरक्षक/वन्यजीव प्रतिपलक/सहायक क्षेत्र निदेशक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी गणों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रयोजनार्थ अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये पदेन वन्य जीव प्रतिपालक, नियुक्त किया गया है। इस आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में सरंक्षित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र में वन्य जीव सरंक्षण एवं वन्य जीव से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही की जिम्मेदारी मूल रूप से उस क्षेत्र में कार्यरत प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की होगी।

प्रायः यह देखने में आया कि वन्य जीव अपराध/दुर्घटना/पलायन आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में जो कि सरंक्षित क्षेत्र से बाहर होते हैं, सम्बन्धित प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ निकटवर्ती वन्य जीव मण्डल से कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं। जबकि इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 2 ( ) कार्मिक/राज/2005/प्रमुवस/5333 दि०04.11.2006 एवं 1288–1386 दि० 28.10. 2013 से यह स्पष्टतः निर्देशित किया गया था, कि वन्य जीवों का विचरण केवल मात्र राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। प्रदेश में वन्यजीव वन क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र के बाहर भी बहुतायत में पाये जाते हैं। वन्य जीवों के सरंक्षण की जिम्मेदारी समस्त वनाधिकारियों की है। वन्य जीव प्रबन्धन हेतु एवं वन्य जीव अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य करना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर समुचित मार्गदर्शन तथा दिशा–निर्देश मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त करना आवश्यक है। किन्तु पुनः यह देखने में आया है कि उक्त राज्यादेश एवं परिपत्र की पालना नहीं की जा रही है तथा वर्तमान में भी वन्य जीव अपराध/दुर्घटना/पलायन आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में जो कि सरंक्षित क्षेत्र से बाहर होते हैं, सम्बन्धित प्रादेशिक उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कार्यवाही नहीं की जाकर टाल–मटोल की नीति अपनाई जा रही है । इससे प्रकरण में तो विलम्ब होता ही है एवं विभाग की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसी वन्य जीव अपराध/दुर्घटना/पलायन के प्रकरण में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई भ्रम अथवा विवाद होने की स्थिति में संभागीय मुख्य वन संरक्षक गण तथा वन्य जीव संभाग के मुख्य वन संरक्षक गण का दायित्व होगा कि वे आपसी समन्वय से ऐसी स्थिति में समुचित कार्यवाही करायें अथवा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान से आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से पुनः समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्यादेश एवं उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए.के. गोयल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थानःजयपुर

क्रमांक एफ (   )विविध–।।/मुवजीप्र/2017/7662-7723 दिनांक 09.10.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक..
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
4. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टाईगर रिजर्व, अलवर
5. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाईमाधोपुर
6. समस्त उप वन संरक्षक..
7. समस्त उप वन संरक्षक (वन्यजीव)..
8. रक्षित पत्रावली

(जी. वी. रेड्डी)
अति.प्र.मु.व.सं. (वन्य जीव)
एवं मु.व.जी.प्र., राज., जयपुर